



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 जनवरी 2015—माघ 1, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

देशी / विदेशी मंदिर की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2015-16

ग्वालियर, दिनांक 21 जनवरी 2015

क्रमांक 7-ठेका / 2015-16 / 16 कौम्प, भोपालः— सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में देशी मंदिर एवं विदेशी मंदिर की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का वर्ष 2015-16 के लिये अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2015 से दिनांक 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए निष्पादन, पृथक-पृथक्/एकल समूहों में सम्बंधित जिले के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा निम्नांकित परिशिष्ट "क" में दर्शाए गये दिनांकों में उनके समक्ष उल्लेखित स्थलों पर टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा।

- वर्ष 2015-16 के लिये टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी देशी मंदिर एवं विदेशी मंदिर की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका आरक्षित मूल्य, टेण्डर ऑफर के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि आदि की जिलावार जानकारी, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से दिनांक 30 जनवरी, 2015, दिन शुक्रवार तक घोषित की जायेगी। उपरोक्त जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ-साथ, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई जायेगी। संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथासंभव स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन, समाचार के रूप में कराया जाएगा। टेण्डर की कार्यवाही से संबंधित नियमों, विक्रय ज्ञापन, ड्यूटी की दर तथा देशी मंदिर एवं

विदेशी मंदिरा दुकानों की विगत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के नौ माह में खपत आदि की जानकारी संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से दिनांक 30.01.2015 से किसी भी दिन, (अवकाश के दिन सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। टेण्डर की कार्यवाही में जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग लेना चाहें, वे इस संबंध में निम्नांकित वर्णित प्रक्रिया, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अन्तर्गत टेण्डर ऑफर दे सकते हैं।

2. मंदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु प्रत्येक जिले में गठित समिति निम्नानुसार होगी :—

2.1 कलेक्टर	अध्यक्ष
2.2 पुलिस अधीक्षक	सदस्य
2.3 संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी	सदस्य
2.4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)	सदस्य
2.5 सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का 'कोरम' कलेक्टर एवं सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को सम्मिलित कर, कम से कम तीन सदस्यों का होगा। कोरम पूरा न होने की स्थिति में कोरम हेतु कलेक्टर किसी एक अन्य अधिकारी को सदस्य मनोनीत कर सकेंगे। यह जिला समिति आबकारी आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण के अध्यधीन निम्न कार्य संपादन करेगी :—

- (1) देशी मंदिरा एवं विदेशी मंदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन कराया जाना।
- (2) जिले के प्रत्येक शहर/नगर/ग्राम में एक से अधिक मंदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें होने की स्थिति में, प्रत्येक दुकान की अवस्थिति (**Location**) का निर्धारण कर, उसका उल्लेख जिले के विक्रय ज्ञापन में अंकित कराया जाना।
- (3) वर्ष 2014–15 में संचालित जो देशी अथवा विदेशी मंदिरा दुकान वर्तमान में जिस नाम से स्वीकृत है, यदि वह वर्तमान स्थान पर उससे भिन्न नाम से संचालित है, तो ऐसी मंदिरा दुकान को उनके वर्तमान स्थान पर ही नाम परिवर्तित कर वर्ष 2015–16 के लिए निष्पादित करने का निर्णय लिया जाना।
- (4) शासन निर्देशानुसार देशी मंदिरा एवं विदेशी मंदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूहों का गठन अथवा पुनर्गठन कराया जाना।
- (5) राज्य शासन एवं आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।

वर्ष 2015–16 के लिये मंदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन निम्नानुसार होंगे :—

3. नवीन मंदिरा दुकानों का खोला जाना

जिला उज्जैन में श्री कालभैरव मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों/श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में मंदिरा को चढ़ाये जाने हेतु वैधानिक तरीके से मंदिरा की उपलब्धता हेतु मंदिर परिसर से नियमानुसार उचित दूरी पर मंदिर से निकटस्थ देशी मंदिरा दुकान के.डी. गेट तथा विदेशी मंदिरा दुकान छत्रीचौक का एक-एक अतिरिक्त काउन्टर, दिनांक 01.04.2015 से खोला जाकर संचालित किया जायेगा। इन काउन्टरों से केवल 180 मिलीलीटर धारिता की सीलबंद बोतलों में ही देशी मंदिरा एवं विदेशी मंदिरा का विक्रय किया जावेगा। इन काउन्टरों पर नियमानुसार मंदिरा की आमद, विक्रय एवं अन्तिम बचत का लेखा पृथक से संधारित किया जायेगा।

वर्ष 2015–16 के लिए राज्य में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी नवीन देशी मंदिरा अथवा विदेशी मंदिरा के फुटकर विक्रय की दुकान नहीं खोली जायेगी।

4. वर्तमान मंदिरा दुकानों को बन्द किया जाना

वर्ष 2014–15 में संचालित किसी भी देशी मंदिरा अथवा विदेशी मंदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान को वर्ष 2015–16 के लिए बन्द नहीं किया जायेगा।

5. राष्ट्रीय/राज्य राज मार्ग पर मंदिरा दुकानों की अवस्थिति :—

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 7369/2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर मंदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 01.04.2015 से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि :—

- 5.1 मंदिरा की कोई भी दुकान राजमार्ग के केन्द्र बिन्दु से 100 मीटर से कम दूरी पर स्थापित/अवस्थित नहीं होगी।
- 5.2 राजमार्ग से दृश्यमान किसी भी मंदिरा दुकान का प्रवेश द्वार राजमार्ग की ओर नहीं होगा। बल्कि वह इस प्रकार स्थापित होगी कि मंदिरा दुकान की पीठ राजमार्ग की ओर रहे।

- 5.3 राजमार्ग से किसी भी मंदिरा दुकान पर लगा हुआ साईन बोर्ड, दृश्यमान नहीं होगा।
- 5.4 राजमार्ग पर किसी भी मंदिरा दुकान को इंगित/सूचित किये जाने वाला साईन बोर्ड भी दृश्यमान नहीं होगा।
6. मंदिरा दुकानों के नाम में परिवर्तन किया जाना
- 6.1 वर्तमान वर्ष 2014–15 में संचालित कोई देशी मंदिरा अथवा विदेशी मंदिरा दुकान जिस नाम से स्थीकृत है, यदि वह उससे भिन्न नाम से संचालित है, तो ऐसी मंदिरा दुकान के पूर्व नाम को परिवर्तित कर, उसे वर्तमान स्थान पर ही वर्तमान स्थान के नाम से संबंधित जिला समिति द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए निष्पादित किया जा सकेगा।
- 6.2 मंदिरा दुकान के नाम परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी मंदिरा दुकान का स्थान एवं उस मंदिरा दुकान का वार्षिक मूल्य/आरक्षित मूल्य यथावत (अपरिवर्तित) रहेगा।
7. मंदिरा दुकानों का स्वरूप परिवर्तन किया जाना :-
- 7.1 वर्ष 2015–16 में राज्य की कुछ देशी मंदिरा दुकानों का स्वरूप आवश्यकतानुसार विदेशी मंदिरा दुकानों के रूप में परिवर्तित कर, उनका निष्पादन विदेशी मंदिरा दुकान के रूप में किया जायेगा।
- 7.2 देशी मंदिरा दुकान का स्वरूप विदेशी मंदिरा दुकान के रूप में परिवर्तित करने के लिये संबंधित जिले की जिला समिति से प्राप्त प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- 7.3 ऐसी स्वरूप परिवर्तन वाली देशी मंदिरा दुकानों की जानकारी, संबंधित जिले से प्राप्त की जा सकती है।
8. आरक्षित मूल्य का निर्धारण
- 8.1 वर्ष 2014–15 के दौरान जिन एकल समूहों में स्थित देशी मंदिरा दुकान से विदेशी मंदिरा की दुकान में अथवा विदेशी मंदिरा दुकान से देशी मंदिरा की दुकान में वार्षिक मूल्य का अंतरण अनुमत किया गया है। ऐसी मंदिरा दुकानों में आदेश जारी किये जाने के दिनांक से, उसे दिनांक 31 मार्च 2015 तक की अवधि के लिए अंतरण मानकर (भले ही लायसेंसी द्वारा आदेश जारी किये जाने के उपरान्त अंतरण योग्य वार्षिक मूल्य के विरुद्ध मंदिरा का प्रदाय लिया गया हो अथवा नहीं लिया गया हो), एकल समूहों में सम्मिलित देशी मंदिरा दुकानों एवं विदेशी मंदिरा दुकानों का वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक मूल्य पुनर्गणित (Re-calculate) किया जायेगा। जिन एकल समूहों में वार्षिक मूल्य का ऐसा अन्तरण वर्ष 2014–15 में अनुमत नहीं किया गया है के साथ–साथ अन्य एकल मंदिरा दुकानों का वर्ष 2014–15 के लिये वार्षिक मूल्य वही रहेगा, जिस वार्षिक मूल्य पर वे वर्ष 2014–15 के लिये निष्पादित की गई थी।
- 8.2 वर्ष 2015–16 के लिये देशी मंदिरा एवं विदेशी मंदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य, उपरोक्त कंडिका 8.1 अनुसार उनके वर्ष 2014–15 के वार्षिक मूल्य/पुनर्गणित (Re-calculate) वार्षिक मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित किया जायेगा।
- 8.3 वर्ष 2015–16 के लिये देशी मंदिरा दुकानों का स्वरूप परिवर्तित कर, विदेशी मंदिरा दुकान के रूप में निष्पादित की जाने वाली देशी मंदिरा दुकान का आरक्षित मूल्य उपरोक्त कंडिका 8.1 अनुसार, उसके वर्ष 2014–15 के वार्षिक मूल्य में 40 प्रतिशत वृद्धि कर निर्धारित किया जायेगा।
- 8.4 वर्ष 2015–16 के लिये उज्जैन जिले के श्री काल भैरव मंदिर में मंदिरा प्रसाद काउन्टरों से संबंधित देशी मंदिरा दुकान के डी. गेट एवं विदेशी मंदिरा दुकान छत्री चौक का आरक्षित मूल्य उपर्युक्त कंडिका 8.1 अनुसार, उनके वर्ष 2014–15 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि कर निर्धारित किया जायेगा।
9. देशी मंदिरा/विदेशी मंदिरा की एकल दुकानों के समूह का गठन अथवा पुनर्गठन
- 9.1 वर्ष 2015–16 के लिये भौगोलिक निरन्तरता के आधार पर नगर निगम एवं जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षेत्र से 10 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र में सम्मिलित शहरी क्षेत्रों में स्थित अधिकतम तीन मंदिरा दुकानों का एकल समूह, जिसमें यथासंभव दोनों स्वरूप की मंदिरा दुकानें हों, आवश्यकता अनुसार राजस्व हित में संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदरस्ता की सहमति से जिले के नजरी नक्शे के आधार पर लिये गये निर्णय अनुसार गठित अथवा पुनर्गठित किया जा सकेगा।
- 9.2 जिला मुख्यालय से भिन्न अन्य नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भौगोलिक निरन्तरता के आधार पर अधिकतम चार मंदिरा दुकानों का एकल समूह, जिसमें यथासंभव दोनों स्वरूप की मंदिरा दुकानें हों, आवश्यकता अनुसार राजस्व हित में संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदरस्ता की

सहमति से जिले के नजरी नक्शे के आधार पर लिये गये निर्णय अनुसार गठित अथवा पुर्नगठित किया जा सकेगा।

10. वार्षिक मूल्य, बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस का निर्धारण

- 10.1 वर्ष 2015–16 के लिए टेंडर द्वारा निष्पादित की गई मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये टेंडर में प्राप्त एवं स्वीकृत उच्चतम ऑफर की राशि, उस मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2015–16 का वार्षिक मूल्य होगा।
- 10.2 वर्ष 2015–16 के लिये बेसिक लायसेंस फीस नगर निगम क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों के वार्षिक मूल्य का 60 प्रतिशत तथा अन्य नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों के वार्षिक मूल्य का 55 प्रतिशत होगी। अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) को बेसिक लायसेंस फीस के विरुद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी।
- 10.3 वार्षिक मूल्य में से बेसिक लायसेंस फीस कम किये जाने पर अवशेष कुल राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रहेगी। जिसके विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) को मदिरा प्रदाय की पात्रता होगी।

11. धरोहर राशि

- 11.1 वर्ष 2015–16 के लिए संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के निर्धारित आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि, धरोहर राशि होगी।
- 11.2 टेंडरदाता द्वारा टेंडर ऑफर के साथ उपरोक्तानुसार निर्धारित धरोहर राशि की 50 प्रतिशत (आरक्षित मूल्य की 5 प्रतिशत) राशि जमा करायी जायेगी।
- 11.3 धरोहर राशि नगद अथवा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में सममूल्य पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में होगी।
- 11.4 सफल टेंडरदाता द्वारा धरोहर राशि की अवशेष 50 प्रतिशत (आरक्षित मूल्य की 5 प्रतिशत) राशि, टेंडर दिनांक से 07 दिवस के अंदर जमा कराना अनिवार्य होगा। 07 दिवसों की गणना में टेंडर की कार्यवाही का दिन एवं अवकाश के दिन (यदि कोई हो) को गणना में नहीं लिया जावेगा।
- 11.5 सफल टेंडरदाता द्वारा जमा धरोहर राशि, संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की देय बेसिक लायसेंस फीस के विरुद्ध समायोजन योग्य होगी।
- 11.6 असफल टेंडरदाता द्वारा जमा धरोहर राशि, उससे रेवेन्यू स्टाम्प लगी रसीद प्राप्त कर उसी दिन वापिस की जायेगी।

12. प्रतिभूति राशि

- प्रतिभूति राशि, संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये वर्ष 2015–16 हेतु प्राप्त वार्षिक मूल्य में से धरोहर राशि को कम कर, शेष राशि के 12 प्रतिशत के समतुल्य होगी।

13. मदिरा दुकानों का स्वरूप

- देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी वर्ष 2015–16 में केवल बोतल बन्द देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी केवल विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द (**Bottled in Origin**) आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) एवं बोतल बन्द भारत निर्मित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) का ही विक्रय कर सकेगा।

14. टेंडर प्रपत्र का मूल्य

- वर्ष 2015–16 के लिए टेंडर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों के लिए टेंडर प्रपत्र का मूल्य नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 10,000/- तथा नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 5,000/- प्रभारित किया जायेगा। किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए टेंडर तभी मान्य किया जायेगा, जब उसकी कीमत संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की अवस्थिति के मान से टेंडर प्रपत्र के लिये भुगतान योग्य समेकित कीमत से कम न हो।

15. मदिरा दुकानों का निष्पादन

- 15.1 वर्ष 2015–16 हेतु समस्त देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के लायसेंसों के निष्पादन/निवर्तन हेतु इच्छुक टेंडरदाताओं से घोषित आरक्षित मूल्य पर टेंडर आमत्रित किये जाएंगे।
- 15.2 देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के घोषित आरक्षित मूल्य के समतुल्य अथवा उससे अधिक

राशि का है, तो उस उच्चतम ऑफर को स्वीकार कर, ऐसी मदिरा दुकान/एकल समूह का निष्पादन/निवर्तन अंतिम किये जाने के लिये संबंधित जिले की जिला समिति अधिकृत रहेगी।

15.3 टेण्डर में आरक्षित मूल्य से कम राशि के ऑफर प्राप्त होने पर ऐसी देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों पर प्राप्त ऑफरों पर शासन निर्देशानुसार निर्णय लिया जाएगा।

16. टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की शर्तें।

16.1 वर्ष 2015–16 के लिए देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के लायरेंस निम्नांकित परिशिष्ट "क" में दर्शाई गई तिथियों एवं समय पर उनके समक्ष उल्लेखित रथ्ताओं पर धोषित आरक्षित मूल्य पर टेण्डर द्वारा निष्पादित/निवर्तित किये जायेंगे।

16.2 वर्ष 2015–16 के लिये टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका रथान, उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि, सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2013–14 में व वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रथम 09 माह में देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की खपत आदि की जानकारी (सेलपेपर) संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से किसी भी दिवस (अवकाश के दिनों सहित) कार्यालयीन समय में **दिनांक 30 जनवरी, 2015** दिन शुक्रवार से प्राप्त की जा सकती है। ऐसी जानकारी (सेलपेपर) इच्छुक टेण्डरदाता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के संबंध में उपरोक्त जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ–साथ, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चर्चा कराई जायेगी।

16.3 संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथासंभव स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन समाचार के रूप में भी कराया जाएगा।

16.4 वर्ष 2015–16 हेतु मदिरा दुकानों/एकल समूहों के टेण्डर द्वारा निष्पादन/निवर्तन के लिये विभाग द्वारा मुद्रित कराये गये क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र, राज्य के प्रत्येक जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। इच्छुक टेण्डरदाताओं द्वारा उनकी आवश्यकता अनुसार मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए टेण्डर प्रपत्र, एकल समूह में समिलित मदिरा दुकानों की अवस्थिति के अनुरूप, समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर विक्रय किये जायेंगे। इन टेण्डर प्रपत्रों का विक्रय नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर/बैंकर्स चैक के माध्यम से उपरोक्त कण्डका–14 में उल्लेखित अनुसार नियत राशि के भुगतान पर किया जायेगा। टेण्डर प्रपत्र के मूल्य की राशि की विहित प्रारूप में रसीद जारी की जायेगी। यही रसीद, निष्पादन स्थल पर टेण्डरदाता के उपस्थित रहने के लिए प्रवेश पत्र के रूप में मान्य की जायेगी।

16.5 मध्यप्रदेश राज्य के सभी जिलों में क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र उपलब्ध रहेंगे। किसी भी जिले से विक्रय किया गया टेण्डर प्रपत्र, अन्य किसी भी जिले में उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए टेण्डर तभी मान्य किया जायेगा, जब टेण्डर प्रपत्र के लिये भुगतान की गई कीमत संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह में समिलित मदिरा दुकानों की अवस्थिति के मान से भुगतान योग्य समेकित कीमत से कम न हो।

16.6 विभाग द्वारा मुद्रित कराये गये निर्गत टेण्डर प्रपत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

16.7 निर्गत टेण्डर प्रपत्र दो भागों में होगा। भाग–एक में टेण्डरदाता को कण्डका–11 अनुसार जमा की गयी धरोहर राशि का विवरण, निम्नांकित कण्डका–19 में उल्लेखित प्रारूप में सहमति करार, स्वयं की पहचान सुनिश्चित करने एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु वाचित दस्तावेज, आयकर रस्थायी लेखा संख्या (PAN) कार्ड की प्रमाणित एवं टेण्डरदाता द्वारा स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं वर्तमान में धारित बैंक बचत/चालू खाते की पासबुक के प्रथम पेज जिसमें बैंक की शाखा, खाता धारक का नाम एवं खाता क्रमांक की जानकारी अंकित हो, की प्रमाणित छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर, निम्नांकित कण्डका–20 में उल्लेखित प्रारूप में मूल नोटराइज्ड शपथपत्र एवं आवश्यक अन्य अभिलेखों को लिफाफे में बंद कर रखना अनिवार्य होगा। इस लिफाफे पर टेण्डरदाता का नाम व उस मदिरा दुकान/एकल समूह का नाम, जिसके लिये टेण्डर दिया जा रहा है, अवश्य लिखा जायेगा।

टेण्डरदाता भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ—साथ पार्टनरशिप—डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्स्ट्रैक्ट) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा। यदि टेण्डरदाता कंपनी की ओर से टेण्डर देना चाहता है, तो टेण्डर देने के पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के मेमोरेंडम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के संचालक मण्डल की सूची तथा संचालक मण्डल की ओर से टेण्डरदाता के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र भी उक्त आशय के **Resolution** के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **केवल आयकर स्थायी लेखा (PAN) क्रमांक तथा वर्तमान में धारित बैंक खाते का क्रमांक शपथ पत्र पर उल्लेख करना पर्याप्त नहीं होगा।**

टेण्डरदाता मदिरा दुकान/एकल समूह का स्पष्ट नाम लिखते हुए अपना ऑफर शब्दों तथा अंकों में टेण्डर प्रपत्र के भाग—दो में प्रस्तुत करेगा। जिसे वह पृथक लिफाफे में रखकर बंद करेगा। इस लिफाफे पर टेण्डरदाता का नाम व उस मदिरा दुकान/एकल समूह का नाम, जिसके लिये टेण्डर दिया जा रहा है, अवश्य लिखा जायेगा। इसी लिफाफे में वह अपने ऑफर के 1/12 भाग की राशि का किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वर्तमान में धारित अपने बचत/चालू खाते का टेण्डर की कार्यवाही का दिनांक अंकित चैक भी रखेगा। टेण्डर प्रपत्र के दोनों भाग “एक” व “दो” के लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में इस तरह चिपकाकर बंद करेगा कि उसे फाड़े बिना, लिफाफों को खोला न जा सके। इस बड़े लिफाफे पर उस जिले का नाम जहां की मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये टेण्डर भरा गया है, लिखा जायेगा। टेण्डरदाता द्वारा इस संबंध में निम्नांकित **परिशिष्ट “क”** में उल्लेखित कार्यक्रम (टाइम टेबिल) अनुसार घोषित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार टेण्डर प्रस्तुत किया जायेगा।

- 16.8 टेण्डरदाता द्वारा किसी भी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए प्रस्तुत किये गये अपने टेण्डर के साथ, अपनी स्वयं की पहचान एवं निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु निम्नांकित कंडिका—21 (1) एवं 21 (2) में उल्लेखित दस्तावेजों में से, किसी एक—एक दस्तावेज की राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये दस्तावेज को “मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है” अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 16.9 किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की एक दुकान/एकल समूह के लिए एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी एक ही टेण्डर प्रस्तुत कर सकती, परंतु एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी एक से अधिक कई अथवा सभी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए अलग—अलग टेण्डर प्रस्तुत कर सकती।
- 16.10 प्रत्येक टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र के साथ संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की निर्धारित धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि (आरक्षित मूल्य का 5 प्रतिशत) नगद अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर के रूप में जमा करायी जायेगी। असफल टेण्डरदाता के द्वारा जमा की गई धरोहर राशि उससे रेवेन्यू स्टाम्प लगी रसीद प्राप्त कर उसी दिन वापिस की जायेगी।
- 16.11 टेण्डरदाता को टेण्डर में अंकित अपने ऑफर के कम से कम 1/12 भाग के समतुल्य अथवा उससे अधिक राशि का संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में टेण्डर की कार्यवाही का दिनांक अंकित, किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वर्तमान में संधारित अपने बचत/चालू खाते का चैक भी प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करना होगा। यह चैक टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र के भाग—दो के लिफाफे में रखा जायेगा। सफल टेण्डरदाता द्वारा प्रतिभूति राशि जमा कर दिये जाने पर या असफल टेण्डरदाता होने की स्थिति में यह चैक उससे रसीद प्राप्त कर वापिसी योग्य होगा।
- 16.12 सील्ड टेण्डर संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के साथ—साथ, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में तथा संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदरस्ता के कार्यालय में भी निम्नानुसार जमा किये जा सकेंगे।
(1) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में निम्नांकित **परिशिष्ट “क”** में वर्णित/उल्लेखित संबंधित जिले में टेण्डर जमा करने हेतु घोषित दिनांक एवं नियत समय से 48 घंटे पूर्व।

- (2) संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के कार्यालय में निम्नांकित परिशिष्ट "क" में वर्णित/उल्लेखित संबंधित जिले में टेण्डर जमा करने हेतु घोषित दिनांक एवं नियत समय से 24 घंटे पूर्व।

उपरोक्तानुसार आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के गवालियर स्थित कार्यालय में तथा संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के कार्यालय में प्राप्त टेण्डरों को यथास्थिति (सील्ड), संबंधित जिला आबकारी कार्यालयों में आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

16.13 प्रत्येक मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए प्राप्त समस्त टेण्डरों की संख्या की घोषणा निष्पादन रथल पर की जावेगी। सभी टेण्डरदाता इस कार्यवाही के दौरान टेण्डर प्रपत्र के निर्गमित मूल्य की विहित प्रारूप में जारी रखीद के साथ उपरिथित रह सकते हैं। परंतु टेण्डरदाता की अनुपरिथित निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी।

16.14 टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के घोषित आरक्षित मूल्य के अवरोही क्रम में, मदिरा दुकानवार/एकल समूहवार प्रस्तुत टेण्डरों का भाग—एक खोला जाकर, टेण्डरदाता के टेण्डर में भाग लेने की पात्रता की जांच की जाएगी। साथ ही टेण्डरदाता द्वारा संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह हेतु देय धरोहर राशि की पुष्टि/संतुष्टि होने एवं जांच में समस्त अभिलेख पूर्ण होने एवं समाधानकारक पाए जाने के उपरांत ही, जिला समिति द्वारा टेण्डर का ऑफर, भाग—दो फाईनेशियल बिड को खोला जाएगा। फाईनेशियल बिड के लिफाफे में टेण्डरदाता के ऑफर के कम से कम $1/12$ भाग अथवा उससे अधिक राशि के टेण्डर की कार्यवाही का दिनांक अंकित चैक के टेण्डरदाता के ऑफर के $1/12$ भाग से कम राशि का होने पर अथवा उसके त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में, टेण्डरदाता द्वारा प्रस्तुत भाग—दो फाईनेशियल बिड में अंकित ऑफर विचारणीय नहीं होगा।

16.15 उच्चतम प्राप्त टेण्डर ऑफर के भाग—दो फाईनेशियल बिड में अंकित टेण्डर ऑफर की राशि के अंकों तथा शब्दों में भिन्नता पाये जाने पर शब्दों में अंकित राशि को अधिमान्यता दी जायेगी। टेण्डर दाता द्वारा टेण्डर ऑफर के साथ संलग्न टेण्डर की कार्यवाही का दिनांक अंकित चैक की राशि के आधार पर इस संबंध में जिला समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

16.16 टेण्डरदाता अगर चाहे तो विभाग के पास टेण्डर की शर्तों के अनुरूप पात्रता संबंधी अभिलेख पहले ही जमा कर सकता है। संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के अन्य टेण्डरों के भाग—एक खोलने के पूर्व, ऐसे टेण्डरदाताओं की पात्रता के बारे में, जिला समिति द्वारा निष्पादन रथल पर घोषणा की जायेगी। अगर टेण्डरदाता की किसी भी त्रुटि के कारण टेण्डर प्रपत्र का भाग—दो खुलने से उसका ऑफर (फाईनेशियल बिड) प्रकट हो जाता है तथा टेण्डर प्रपत्र के भाग—एक अनुसार टेण्डरदाता अपात्र नहीं है और भाग—दो में अंकित ऑफर (फाईनेशियल बिड) के कम से कम $1/12$ भाग अथवा उससे अधिक राशि का टेण्डर की कार्यवाही का दिनांक अंकित चैक संलग्न पाया जाता है, तो ही उसका ऑफर विचारणीय होगा, अन्यथा नहीं।

16.17 प्रत्येक टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र के साथ मदिरा दुकान/एकल समूह की निर्धारित सम्पूर्ण धरोहर राशि नगद अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर के रूप में जमा करायी जायेगी। असफल टेण्डरदाता के द्वारा जमा की गई धरोहर राशि उससे रेवेन्यू स्टाम्प लगी रसीद प्राप्त कर उसी दिन वापिस की जायेगी।

16.18 टेण्डर प्रपत्र भाग—एक के अभिलेखों में धरोहर राशि के विधिवत जमा पाये जाने पर, अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य त्रुटियों के आधार पर प्राप्त ऑफर (फाईनेशियल बिड) को अमान्य नहीं किया जावेगा। इस प्रकार की त्रुटियों का सुधार जिला समिति मौके पर करवा सकेगी। लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका—समाधान के लिए, संबंधित कलेक्टर, आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा।

16.19 टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी टेण्डरदाता अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव, सशर्त अथवा बिना शर्त न तो अभिलेखों में लिया जायेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जायेगा।

16.20 किसी मदिरा की दुकान/एकल समूह के लिये टेण्डर के माध्यम से प्राप्त सभी ऑफर का अवरोही क्रम (**Descending Order**) में विवरण तैयार किया जावेगा। प्राप्त उच्चतम ऑफर संबंधित

मदिरा दुकान/एकल समूह के निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक राशि का होने पर, उसे जिला समिति स्वीकार कर लेगी। अन्यथा स्थिति में मदिरा दुकानवार/एकल समूहवार प्राप्त टेप्डरों का तुलनात्मक पत्रक तैयार कर, इसकी सूचना तत्काल आबकारी आयुक्त को दी जाएगी। टेप्डर द्वारा निष्पादन के प्रथम चरण से शेष बची मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन आबकारी आयुक्त, द्वारा घोषित/निर्धारित दिनांक को पुनः टेप्डर आमंत्रित कर, किया जाएगा। ऐसे टेप्डरों का निराकरण भी उपरोक्त प्रावधान एवं/अथवा शासन द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था के अध्यधीन होगा।

- 16.21 टेप्डर के माध्यम से किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए, निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक उच्चतम राशि का एक से अधिक समान ऑफर प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम ऑफरदाताओं के मध्य सफल टेप्डरदाता का चयन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।
- 16.22 टेप्डरदाता द्वारा निम्नांकित कण्डिका-20 में वर्णित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाने वाले नोटराईज्ड शपथ पत्र में यह स्पष्ट आशय अंकित किया जायेगा कि “टेप्डरदाता को यह ज्ञात है कि उसे अनुज्ञापित मदिरा दुकान के लिए जिला समिति द्वारा घोषित निर्धारित क्षेत्र (Location) में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व उसका स्वयं का है।”
- 16.23 उच्चतम टेप्डरदाता यदि टेप्डर की पुष्टि तक, टेप्डर में अंकित ऑफर पर रिश्तर नहीं रहेगा अथवा टेप्डर वापिस लेगा या अन्य किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा, तो उस मदिरा दुकान/एकल समूह को, टेप्डर द्वारा पुनः निष्पादित करने पर, जो खिसारा आएगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह उच्चतम् टेप्डरदाता से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी समय टेप्डर की शर्तों के उल्लंघन पर टेप्डरदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि, उसको सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी। टेप्डरदाता द्वारा नगद अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में अथवा बैंक ड्रापट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आडर द्वारा जमा की गई अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी।

17.

वर्ष 2016-17 के लिये मदिरा दुकानों का नवीनीकरण

वर्ष 2015-16 के लिये टेप्डर द्वारा निष्पादित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का वर्ष 2016-17 के लिये शासन द्वारा निर्धारित मूल्य एवं नीति अंतर्गत नवीनीकरण द्वारा निष्पादन किया जायेगा।

18. व्यक्ति जो टेप्डर देने से वर्जित होंगे

देशी तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के लिए ऐसे व्यक्ति ही टेप्डर प्रस्तुत कर सकेंगे, जो आबकारी लायरेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों। निम्नलिखित व्यक्ति टेप्डर देने के लिए अयोग्य रहेंगे –

- 18.1 कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।
- 18.2 कोई भी व्यक्ति जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि, पॉपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो।
- 18.3 वर्ष 2014-15 की अवधि का अनुज्ञाप्तिधारी, जिसके द्वारा उसके लायरेंस की माह जनवरी, 2015 के द्वितीय पक्ष अंत तक की संपूर्ण देय बेसिक लायरेंस फीस एवं वार्षिक लायरेंस फीस न पटाई गई हो।
- 18.4 कोई भी व्यक्ति, जो पहले लायरेंसी रहा हो और लायरेंसी की हैसियत से उसका आचरण, निष्पादन करने वाली जिला समिति के मत में संतोषजनक न रहा हो।
- 18.5 कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो।
- 18.6 कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में निष्पादनकर्ता जिला समिति को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है।
- 18.7 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्कन्डाइज मार्कर्स अधिनियम 1889 (1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंसेस अधिनियम, 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

19. सहमति करार प्रस्तुत किया जाना

टेण्डर द्वारा देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के निवर्तन संबंधी शर्तों को टेण्डर देने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार

प्रत्येक टेण्डरदाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगे कि वह टेण्डर की प्रक्रिया में टेण्डर की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। तदनुसार राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का नाम एवं रथान, उसमें संधारित बचत/चालू बैंक खाते का क्रमांक, रथयं का पता तथा रथायी आयकर लेखा (PAN) क्रमांक की जानकारी अंकित कर, किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी द्वारा अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो सहित, सहमति करार में हस्ताक्षर कर, संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रत्युत करना होगा।

सहमति करार

टेण्डरदाता का स्वप्रमाणित फोटो जो राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो।

मैं (टेण्डरदाता का नाम)
 पिता/पति श्री..... निवासी,
 धन्धे का रथान आयु..... (वर्ष) शपथ पूर्वक
 घोषित करता/करती हूं कि :-

- (1) मेरे राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाते का क्रमांक व बैंक का नाम तथा पता है।
- (2) मेरे रथयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके किसी भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर/डायरेक्टरों का रथाई आयकर लेखा (PAN) क्रमांक है।
- (3) मैंने देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के वर्ष 2015-16 के लिए टेण्डर द्वारा निवर्तन की शर्तों पढ़-सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों एवं निर्बन्धनों को स्वेच्छा से प्रतिग्रहीत करता/करती हूं।
- (4) मैंने जमा की गई धरोहर राशि का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया है।
- (5) मैं टेण्डर में अंकित अपने ऑफर से विचलित होने की दशा में, अपने द्वारा निषेप की गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के समर्पण के लिए करार करता/करती हूं तथा रथयं को आबद्ध करता/करती हूं कि पुनः निष्पादन/पुनः निवर्तन की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम, मुझसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

टीप :-

- (1) प्रत्येक देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक एवं रथायी आयकरदाता लेखा (PAN) क्रमांक उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र में भरकर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जायेगा।
 - (2) टेण्डरदाता यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होंगे।
- श्री की उपरोक्त देशी मदिरा/विदेशी

मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के उल्लेखित टेण्डर द्वारा निवर्तन की कार्यवाही में, उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/अनुमति दी गई है।

हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी
जिला

दिनांक

20. नोटराइज्ड शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जाना

प्रत्येक देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) को निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

शपथ—पत्र

मैं ख्ययं (नाम).....	(पिता/पति का नाम).....
निवासी (पता)	शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूँ कि :-
(1) मैं ख्ययं अथवा फर्म/कंपनी की स्थिति में (फर्म/कम्पनी का नाम).....	की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूँ।
(2) मैं ख्ययं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2015–16 के लिये उल्लेखित टेण्डर की कार्यवाही में टेण्डर/ऑफर देने हेतु अपात्र नहीं हूँ/हैं।	
(3) मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।	
(4) मैंने टेण्डर प्रक्रिया द्वारा जिला की देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह की निर्धारित धरोहर राशि कुल रूपये निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गयी है :-	
(I) नगद राशि	रूपये.....
(II) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर	रूपये.....

योग :- रूपये

- (5) मैंने, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है।
- (6) सफल टेण्डर दाता होने की दशा में मेरे द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए देय 12 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस में अथवा दिनांक 30 मार्च 2015 तक, जो अवधि पहले आये जमा कर दी जायेगी। मैं अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स भी निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिए आवद्ध रहूँगा।
- (7) मुझे यह ज्ञात है कि मदिरा दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा ख्ययं का है।
- (8) देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डर द्वारा निष्पादन के लिए, मेरे द्वारा निष्पादनकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत सहमति करार पत्र में एवं टेण्डर प्रपत्र में उल्लेखित समर्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को टेण्डर में अंकित ऑफर को तथा लायरेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जप्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
- (9) यह कि मैं सफल टेण्डरदाता के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के 9 पोस्ट डेटेड बैंक चैक्स के मामले में चैक जारीकर्ता बैंक को ठेका अवधि में चैक्स का भुगतान रोकने के लिए निर्देशित नहीं करूँगा।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक / / 2015

सत्यापन लेख

मैं, (नाम).....(पिता/पति का नाम) श्री..... शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ कि इस शपथ-पत्र के चरण (1) से चरण (9) तक मैं वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।
स्थान.....

हस्ताक्षर.....
दिनांक / / 2015

21. टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु इच्छुक टेण्डरदाताओं को उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेजों में से किसी एक-एक दस्तावेज की किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई छायाप्रति को “मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है” ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

21.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे।

- (1) पासपोर्ट।
- (2) स्थायी आयकर लेखा संख्या (**PAN**) कार्ड।
- (3) निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (**EPIC CARD**)।
- (4) ड्रायविंग लायरेस।
- (5) फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका
- (6) आधार कार्ड

21.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे।

- (1) अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाइल फोन बिल।
- (2) अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल।
- (3) अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. गैस रिफिलिंग की रसीद।
- (4) अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल।
- (5) किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड।
- (6) स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण पत्र
- (7) बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका।
- (8) आधार कार्ड

22. प्रतिभूति की राशि जमा किया जाना

22.1 सफल टेण्डर दाता को प्रतिभूति की राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के टेण्डर द्वारा निष्पादन की स्थिति में निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस में अथवा दिनांक 30 मार्च 2015 तक, जो अवधि पहले आये जमा करनी होगी।

22.2 संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का लायरेस, प्रतिभूति राशि जमा हो जाने के पश्चात ही जारी किया जायेगा।

22.3 प्रतिभूति राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2016 तक की वैधता अवधि के अधीन जारी की गई बैंक गारंटी के रूप में होगी। प्रस्तुत बैंक गारंटी सफल टेण्डरदाता के नाम से जारी होने पर ही स्वीकार की जायेगी।

22.4 प्रतिभूति की राशि, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बन्धक किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सफल टेण्डरदाता के नाम से जमा सावधि जमा के रूप में भी प्रस्तुत की जा सकेगी। जिसकी परिपक्वता अवधि कम से कम, दिनांक 30.04.2016 तक की होगी।

22.5 सफल टेण्डरदाता मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में अथवा दिनांक 30 मार्च 2015, जो भी पहले हो तक यदि प्रतिभूति जमा नहीं करता

है तथा प्रतिभूति की देय राशि की 50 प्रतिशत राशि नगद जमा कर, शेष 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी दिनांक 30 अप्रैल 2015 तक प्रस्तुत करने का आवेदन करता है तो, (इस प्रतिबंध के अधीन कि देय प्रतिभूति की 50 प्रतिशत नगद जमा राशि, मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में जमा करायी जाकर, उसका समायोजन देय बेसिक लायर्सेंस फीस एवं वार्षिक लायर्सेंस फीस के विरुद्ध माह मार्च 2016 के पूर्व आदेशित/मान्य नहीं किया जायेगा,) आवेदक लायर्सेंसी के आवेदन को मान्य किया जाकर, लायर्सेंस जारी किया जायेगा।

22.6 सफल टेण्डरदाता द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2015 तक प्रतिभूति की शेष 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करने की रिस्ति में, उसे स्वीकृत लायर्सेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।

22.7 प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार **0.25 Percent of the amount, subject to a maximum of twenty five thousand rupees** के मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी।

23. अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्ट डेटेड चैक जमा कराया जाना

वर्ष 2015–16 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादित मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायर्सेंसी को उसकी मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य के आधार पर, एक माह के समानुपातिक वार्षिक मूल्य के समतुल्य राशि के माह मई, 2015 से माह जनवरी, 2016 तक प्रत्येक माह की पहली तिथि में वर्तमान में संधारित बैंक खाते से जारी, नौ (09) पोस्ट डेटेड चैक, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में उसके वर्तमान में संधारित बचत/चालू खाते से संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किये गये हों, अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से 20 दिवस अथवा दिनांक 30 मार्च 2015, जो भी पहले हो, जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त चैकों को वर्ष 2015–16 में किसी भी समय, एक माह से अधिक अवधि की वार्षिक लायर्सेंस फीस/बेसिक लायर्सेंस फीस की देयता लंबित होने पर ही, बकाया लायर्सेंस फीस की वसूली हेतु बैंक में भेजा जायेगा। यदि संबंधित लायर्सेंसी द्वारा वर्ष में देय सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य (बेसिक लायर्सेंस फीस + वार्षिक लायर्सेंस फीस) चुका दिया जाता है तो, उपरोक्त पोस्ट डेटेड चैकों को लायर्सेंसी से प्राप्ति रसीद लेकर, मूलतः वापस कर दिया जायेगा।

लायर्सेंसी इन पोस्ट डेटेड चैकों के संबंध में बैंक को कभी भी यह निर्देशित नहीं करेगा कि इन चैकों का भुगतान न किया जाये। इस संबंध में वह शपथ पत्र में भी उल्लेख करेगा।

24. प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना—

वर्ष 2015–16 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादित मदिरा दुकान/एकल समूह के लायर्सेंसी को उसकी मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य के आधार पर निर्धारित प्रारूप में प्रतिरूप करार भी निष्पादित करना होगा। प्रतिरूप करार निष्पादन एवं समर्त वाछित औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त ही उसे संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का लायर्सेंस जारी किया जायेगा।

25. ड्यूटी दरें :

वर्ष 2015–16 के लिये देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाइन एवं बीयर आदि) के लिये ड्यूटी दरें निम्नानुसार रहेंगी :—

25.1 देशी मदिरा

वर्ष 2015–16 हेतु देशी मदिरा (मसाला एवं प्लेन) की ड्यूटी रूपये 100/- प्रति प्रूफ लीटर की दर से प्रभारित की जायेगी।

25.2 विदेशी मदिरा (स्पिरिट)

क्र	भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर	ड्यूटी दर
1.	रूपये 600 तक	रूपये 125/- प्रति प्रूफ लीटर।
2.	रूपये 601 से रूपये 800 तक	रूपये 160/- प्रति प्रूफ लीटर।
3.	रूपये 801 से रूपये 1200 तक	रूपये 200/- प्रति प्रूफ लीटर।
4.	रूपये 1201 से रूपये 1800 तक	रूपये 250/- प्रति प्रूफ लीटर।
5.	रूपये 1801 से रूपये 2800 तक	रूपये 300/- प्रति प्रूफ लीटर।
6.	रूपये 2801 से रूपये 4000 तक	रूपये 350/- प्रति प्रूफ लीटर।

7.	रुपये 4001 से रुपये 6000 तक	रुपये 450/- प्रति प्रूफ लीटर।
8.	रुपये 6001 से रुपये 8000 तक	रुपये 550/- प्रति प्रूफ लीटर।
9.	रुपये 8001 से रुपये 10000 तक	रुपये 700/- प्रति प्रूफ लीटर।
10.	रुपये 10001 से रुपये 15000 तक	रुपये 800/- प्रति प्रूफ लीटर।
11.	रुपये 15001 से रुपये 30000 तक	रुपये 900/- प्रति प्रूफ लीटर।
12.	रुपये 30001 से अधिक	रुपये 1000/- प्रति प्रूफ लीटर।

25.3 विदेशी मदिरा (बीयर)

विदेशी मदिरा (बीयर) पर प्रतिपेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर के 45 प्रतिशत अथवा रुपये 125/- प्रतिपेटी जो भी अधिक हो, की दर से ड्यूटी प्रभारित की जायेगी।

25.4 रेडी टू ड्रिंक (Ready to drink) Low Alcoholic Beverages पेय

फलों के जूस, कोला, सोडा अथवा फ्लेवर के साथ तैयार किये गये 10 प्रतिशत तक V/V एल्कोहल शक्ति वाले ऐसे **Low Alcoholic Beverages** रेडी टू ड्रिंक (**Ready to drink**) पेय जिसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर प्रति कैस (24 बोतल/कैन (नग) की समेकित धारिता अधिकतम 9.0 बल्क लीटर तक हो) रुपये 700/- से अधिक हो, पर ड्यूटी उसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर के 45 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी।

नोट:- पेटी से आशय **Low Alcoholic Beverages** रेडी टू ड्रिंक पेय को छोड़कर, शेष विदेशी मदिरा की 12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य मात्रा से है।

25.5 ड्राफ्ट बीयर

ड्राफ्ट बीयर पर ड्यूटी रुपये 25/- प्रति बल्क लीटर की दर से प्रभारित की जायेगी।

25.6 विदेशी मदिरा (वाइन)

विदेशी मदिरा (वाइन) पर ड्यूटी रुपये 150/- प्रति प्रूफ लीटर की दर से प्रभारित की जाएगी। मध्यप्रदेश राज्य में कृषकों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन पर ड्यूटी दर पूर्ववत् शून्य रहेगी।

25.7 रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली विदेशी मदिरा

रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय ड्यूटी, सिविलियन्स के लिए देय ड्यूटी का, रम के लिए 30 प्रतिशत की दर से तथा अन्य विदेशी मदिरा के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी।

26. आयातित विदेशी मदिरा पर चुकाई गई बोतल फीस का समायोजन वार्षिक लायसेंस फीस में दिया जाना।

वर्ष 2015–16 में विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद (**Bottled in origin**) आयातित विदेशी मदिरा का राज्य में आयात किये जाते समय चुकाई गई बोतल फीस के समतुल्य राशि का समायोजन विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के लायसेंसी को, संबंधित मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान की वार्षिक लायसेंस फीस में अनुमत किया जायेगा।

27. एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों में परस्पर वार्षिक मूल्य का अन्तरण

एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के वार्षिक मूल्य में समूह की देशी मदिरा दुकानों से विदेशी मदिरा दुकानों में अथवा विदेशी मदिरा दुकानों से देशी मदिरा दुकानों में अधिकतम 20 प्रतिशत तक अन्तरण (**Transfer**) की अनुमति वर्ष 2015–16 में दी जा सकेगी। तदनुसार जिस देशी/विदेशी मदिरा दुकान से वार्षिक मूल्य के अन्तरण (**Transfer**) की अनुमति उपरोक्तानुसार दी जाती है एवं उस देशी/विदेशी मदिरा दुकान, जिसमें अन्तरण की अनुमति दी गयी है, दोनों की बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस समानुपातिक आधार पर अन्तरित (**Transfer**) होगी। यह अन्तरण संबंधित लायसेंसी की मांग एवं आवश्यकता का परीक्षण कर, जिसे के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संभाग के उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के अनुमोदन उपरान्त अनुमत किया जा सकेगा। उपरोक्तानुसार आदेशित अन्तरण वर्ष 2015–16 के दौरान विपर्यय (**Reversible**) नहीं होगा। अर्थात् वर्ष 2015–16 के दौरान एकल समूह की देशी मदिरा दुकान से यदि विदेशी मदिरा दुकान में वार्षिक मूल्य का अन्तरण अनुमत किया जाता है तो वर्ष के दौरान उसी समूह की विदेशी मदिरा दुकान से देशी मदिरा दुकान में अथवा एकल समूह की विदेशी मदिरा दुकान से यदि देशी मदिरा दुकान में वार्षिक मूल्य का अन्तरण अनुमत किया जाता है तो वर्ष के दौरान उसी समूह की देशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा दुकान में अन्तरण अनुमत नहीं होगा। ऐसी अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से आदेशित न की जाकर, आदेश जारी किये जाने के दिनांक के आगामी पक्ष से प्रभावी होगी।

28. न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का निर्धारण व अंकन

- 28.1 वर्ष 2015–16 के लिए प्रत्येक लेबिल व प्रत्येक धारिता की विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) के साथ–साथ, देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल का न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (**MSP**) तथा अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (**MRP**) निर्धारित किये जाने व बोतल पर चिपकाये जाने वाले लेबिल पर उसका अंकन किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत् प्रभावी रहेगी।
- 28.2 वर्ष 2015–16 के लिये मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान का लायसेंसी अग्रिम चुकाई गई वैट कर (**VAT**) की राशि सहित निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (**MSP**) एवं अधिकतम विक्रय मूल्य (**MRP**) के बीच की कोई राशि, विक्रय दर के रूप उपभोक्ता से वसूल कर सकेगा।
- 28.3 मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (**MSP**) से कम मूल्य पर एवं निर्धारित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (**MRP**) से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय किया जाना, गंभीर अनियमितता मानकर कार्यवाही का आधार होगी। ऐसी अनियमितता के फलस्वरूप संबंधित मदिरा दुकान का स्वीकृत लायसेंस कम से कम तीन दिन के लिये अथवा अधिकतम एक सप्ताह के लिये अनिवार्यतः निलंबित किया जाएगा। एक से अधिक बार ऐसी अनियमितता पाये जाने पर, उक्त मदिरा दुकान का लायसेंस वर्ष की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा।
- 28.4 उपरोक्त कण्डिका 28.3 के अन्तर्गत वर्ष की शेष अवधि के लिये लायसेंस निरस्तीकरण की गई कार्यवाही के फलस्वरूप, यदि ऐसी मदिरा दुकान किसी समूह में सम्मिलित है, तो उक्त समूह की समस्त मदिरा दुकानों का लायसेंस भी वर्ष की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा।
- 28.5 उपरोक्त कण्डिका 28.3 एवं कण्डिका 28.4 अनुसार जिन मदिरा दुकानों का लायसेंस वर्ष 2015–16 की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा, उन मदिरा दुकानों को लायसेंस निरस्त किये जाने के दिनांक से विभागीय नियंत्रण के अधीन लिया जाकर, उक्त मदिरा दुकानों को वर्ष 2015–16 के मूल लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर, टेण्डर द्वारा पुनःनिष्पादन की कार्यवाही की जायेगी। पुनःनिष्पादन की इस कार्यवाही में यदि शासन को कोई हानि होती है अथवा खिसारा परिलक्षित होता है तो ऐसी हानि/खिसारे की राशि मूल अनुज्ञप्तिधारी से भू–राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी। यदि पुनःनिष्पादन की कार्यवाही में अधिक राजस्व प्राप्त होता है तो इस पर शासन का अधिकार होगा।

29. होलोग्राम

वर्ष 2015–16 में भी विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) एवं देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं प्रत्येक धारिता की बोतल पर विभाग द्वारा निर्धारित सिक्योरिटी होलोग्राम यथावत लगाया जायेगा।

30. शॉप बार लायसेंस

वर्ष 2015–16 में भी विदेशी मदिरा की ऑफ श्रेणी की दुकानों में “शॉप–बार (**Shop-Bar**) लायसेंस निम्न प्रतिवन्धों के अधीन गुण–दोष के आधार पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे :–

- 30.1 “शॉप–बार” का कवर्ड एरिया (उपभोग परिसर) कम से कम 300 वर्गफीट होगा। ऐसा परिसर संबंधित विदेशी मदिरा दुकान से लगा होना अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहक दुकान से विदेशी मदिरा का क्रय कर, उसका उपभोग इस परिसर में कर सकें। यह सुविधा एक से अधिक तल पर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
- 30.2 “शॉप–बार” परिसर अनिवार्यतः एयर कूल्ड / एयर कन्डीशन्ड होगा।
- 30.3 “शॉप–बार” परिसर में शुद्ध जल की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
- 30.4 “शॉप–बार” परिसर में शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- 30.5 “शॉप–बार” में फर्नीचर, हवा, प्रकाश एवं अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था होगी। “शॉप–बार” परिसर में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य–रक्षा (**Hygiene**) का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
- 30.6 “शॉप–बार” 12 फीट से कम चौड़ी गली में रिथत नहीं होगा।
- 30.7 “शॉप–बार” में वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था होगी।
- 30.8 “शॉप–बार” का संचालन लायसेंसी द्वारा रख्य किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी रिथत में किसी अन्य व्यक्ति को संचालन की पात्रता नहीं होगी। ऐसा पाये जाने पर “शॉप–बार” हेतु स्वीकृत एफ.एल.–1–ख लायसेंस निरस्त कर दिया जावेगा।

- 30.9** वर्ष 2015–16 में स्वीकृत किये जाने वाले “शॉप-बार” लायर्सेंस हेतु, वार्षिक लायर्सेंस फीस, संबंधित विदेशी मंदिरा दुकान के वर्ष 2015–16 के लिये विनिश्चित किये गये वार्षिक मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर अग्रिम देय होगी।
- 31. देशी मंदिरा प्रदाय व्यवस्था**
- वर्ष 2015–16 के लिये देशी मंदिरा प्रदाय व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :—
- 31.1** वर्ष 2015–16 में देशी मंदिरा की दो किस्में मसाला 25 डिग्री अन्डरप्रूफ एवं प्लेन 50 डिग्री अन्डरप्रूफ पूर्ववत् प्रचलन में रहेंगी। देशी मंदिरा मसाला “रंगीन” तथा प्लेन मंदिरा “रंगहीन” होगी। मसाला मंदिरा की भाँति प्लेन मंदिरा भी विभिन्न फ्लेवर्स में अर्थात् सौंफ़ / संतरा / लेमन आदि में विनिर्माण कर प्रदाय की जा सकेगी।
- 31.2** देशी मंदिरा की भराई पूर्वानुसार शब्द “देशी मंदिरा” व “म०प्र० आबकारी” तथा बोतल की धारिता उत्कीर्ण की हुई कांच की बोतलों में की जाएगी। कांच के साथ पैट बोतलों में भी देशी मंदिरा की भराई की जाएगी। पैट बोतलों में बोतल की धारिता उत्कीर्ण होगी।
- 31.3** देशी मंदिरा का प्रदाय कांच तथा पैट बोतलों में मंदिरा की फूटकर बिक्री की दुकान के लायर्सेंसी की मांग अनुसार किया जायेगा। इसके लिए संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अधिकृत होंगे, जिनके निर्देशानुसार देशी मंदिरा भाण्डागारों के मद्य भाण्डागार अधिकारी इस आशय का मांग पत्र प्रदाय संविदाकार को भेजेंगे कि उन्हें कांच और पैट में एवं, किस-किस किस्म एवं धारिता की कितनी-कितनी बोतल बन्द देशी मंदिरा भेजी जाये।
- 31.4** देशी मंदिरा की कांच एवं पैट बोतलों की धारिता पूर्वानुसार 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर तथा 180 मिलीलीटर की होगी।
- 31.5** देशी मंदिरा मसाला एवं प्लेन की प्रत्येक पेटी में 750 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 12 नग, 375 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 24 नग तथा 180 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 50 नग होंगे। देशी मंदिरा तीन प्लाई के मजबूत कोरोगेटेड बॉक्स में प्रदाय संविदाकार आसवक द्वारा अपनी बॉटलिंग इकाई में पैक की जाएगी।
- 31.6** फूटकर ठेकेदार अपनी आवश्यकता के अनुसार बोतल बन्द देशी मंदिरा, वर्तमान स्टोरेज मद्य भाण्डागार के माध्यम से शासन द्वारा अनुमोदित किये गये आसवक/प्रदाय संविदाकार से निम्न वर्णित प्रति पेटी दरों पर क्रय कर सकेगा। कांच एवं पैट बोतलों की प्रति पेटी कीमत पृथक-पृथक होगी, किन्तु बोतल, अद्वा तथा पाव की पेटियों की अनुमोदित प्रदाय दर एक समान होगी।
- | किस्म मंदिरा | प्रतिपेटी प्रदाय दर (रुपयों में) | |
|--------------|----------------------------------|------------|
| मसाला | कांच
496 | पैट
449 |
| प्लेन | 425 | 380 |
- 31.7** देशी मंदिरा की फूटकर बिक्री की दुकान के लायर्सेंसी को देशी मंदिरा का प्रदाय लेने पर देशी मंदिरा प्रदाय संविदाकार को प्रतिपेटी प्रदाय दर के अतिरिक्त प्रतिपेटी परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (**M.S.P.**) पर 5 प्रतिशत की दर से देय वैट (वैल्यू एडेंड टैक्स) की राशि का भुगतान भी करना होगा।
- 31.8** देशी मंदिरा की फूटकर बिक्री की दुकान के लायर्सेंसी को उसकी देशी मंदिरा दुकान की पाक्षिक लायर्सेंस फीस के आधार पर, दुकान में कम से कम एक दिन की औसत खपत के 10 प्रतिशत के समतुल्य देशी मंदिरा का संग्रह, कांच की बोतलों में हमेशा रखना अनिवार्य होगा।
- 31.9** देशी मंदिरा भाण्डागार से उसी किस्म एवं धारिता की बोतल बन्द देशी मंदिरा प्रदाय की जाएगी, जो तत्समय गोदाम में भण्डारित होकर प्रदाय के लिये उपलब्ध होगी।
- 31.10** वर्ष 2015–16 की अवधि में देशी मंदिरा की आपूर्ति उपरोक्त प्रस्तावित व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी अन्य प्रकार से भी की जा सकेगी, जैसा कि इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेशित किया जाये।
- 32. विदेशी मंदिरा का प्रदाय**
- 32.1** वर्ष 2015–16 में विदेशी मंदिरा की फूटकर बिक्री की दुकान के लायर्सेंसी द्वारा मांग अनुसार चाही गयी विदेशी मंदिरा का प्रदाय, देय कीमत का पृथक से भुगतान किये जाने पर संभागीय मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालय सिवनी, जिला मुख्यालय शिवपुरी, जिला होशंगाबाद (इटारसी) तथा जिला खरगौन (सनावद) के अतिरिक्त व जिला मुख्यालय छतरपुर, जिला मुख्यालय शहडोल तथा जिला रतलाम (जावरा) में स्थापित व संचालित नवीन विदेशी मंदिरा भाण्डागारों से पूर्व आदेशित व्यवस्था

अनुसार किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त इन्दौर स्थित वर्तमान विदेशी मंदिरा भाण्डागार से केवल विदेशी मंदिरा (स्पिरिट) का प्रदाय जारी रखते हुये विदेशी मंदिरा (बीयर) का प्रदाय इन्दौर में ही स्थापित किये जा रहे नवीन विदेशी मंदिरा भाण्डागार से किया जायेगा।

32.2 वर्ष 2015–16 में भी विदेशी मंदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को विदेशी मंदिरा का प्रदाय लेने पर प्रतिपेटी परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (**M.S.P.**) पर 5 प्रतिशत की दर से देय वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) की राशि का भी भुगतान करना होगा।

32.3 वर्ष 2015–16 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के स्वामित्व की इकाईयों के होटलों के अतिरिक्त आई.टी.डी.सी. की होटल इकाईयों, भारत सरकार, पर्यटन मन्त्रालय/एच.आर.ए.सी.सी. और मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा अभिप्रमाणित एक सितारा एवं इससे उच्च श्रेणी के सितारा होटलों/हैरीटेज होटलों को होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेंस अन्तर्गत उस लेबिल की प्रति बोतल घोषित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य **M.S.P.** के आधार पर, ऐसे लेबिल विशेष की एक पेटी विदेशी मंदिरा की देय राशि के भुगतान के विरुद्ध, उस जिले में जहां ऐसी होटल इकाई स्थित एवं संचालित है, के लिये नामांकित विदेशी मंदिरा भाण्डागार से लेबिल विशेष की न्यूनतम एक पेटी (12 क्वार्ट बोतल) विदेशी मंदिरा का प्रदाय किया जायेगा।

33. विदेशी मंदिरा भाण्डागार से प्रदायित विदेशी मंदिरा पर देय परिवहन फीस

वर्ष 2015–16 में विदेशी मंदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) के घोषित एक्स विदेशी मंदिरा भाण्डागार प्रदाय दर पर, 8 प्रतिशत की दर से परिवहन फीस पूर्ववत् पृथक से प्रभारित की जायेगी।

34. ड्राफ्ट बीयर के प्रदाय के संबंध में

लूज (गैर बोतल बन्द) ड्राफ्ट बीयर, केवल रेस्टरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क), सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4), व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4क), आकस्मिक लायसेंस (एफ.एल.–5) तथा सैनिक कैन्टीन क्लब बार (एफ.एल.–8) लायसेंसी को नियत ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर, उत्पादन इकाई के भारसाधक अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन पारपत्र पर उत्पादन इकाई से सीधे खपत के बिन्दु के लिए प्रदाय की जाएगी।

वर्ष 2015–16 में विदेशी मंदिरा की फुटकर बिक्री की एफ.एल.–1/एफ.एल.–1 कक्कक दुकानों से लूज (गैर बोतल बन्द) ड्राफ्ट बीयर का विक्रय नहीं किया जायेगा।

35. बेसिक लायसेंस फीस तथा वार्षिक लायसेंस फीस जमा करने की प्रक्रिया

35.1 वर्ष 2015–16 के लिये निष्पादित की गई मंदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए निर्धारित बेसिक लायसेंस फीस में से देय एवं जमा कराई गई धरोहर राशि को कम करने के पश्चात् शेष बेसिक लायसेंस फीस 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली योग्य होगी। ये किश्तें समान रूप से विभाजित नहीं होंगी। वर्ष के प्रथम त्रैमास में उक्त का 30 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास में 20 प्रतिशत तथा वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में कमशः 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा। किसी भी त्रैमास में वसूली योग्य इस राशि को छः समान भागों में बांटा जाएगा, यदि यह राशि छः समान भागों में विभाज्य नहीं है, तो अविभाज्य शेष भाग को संबंधित त्रैमास की प्रथम पाक्षिक किश्त में समायोजित किया जाएगा। परन्तु अंतिम 24 वीं किश्त अर्थात् ठेका अवधि की अंतिम किश्त 25 मार्च, 2016 तक जमा करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाप्तिधारक (लायसेंसी) को उपरोक्तानुसार जमा बेसिक लायसेंस फीस के विरुद्ध मंदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी।

35.2 वर्ष 2015–16 में मंदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए परिगणित वार्षिक लायसेंस फीस 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली योग्य होगी। ये किश्तें समान रूप से विभाजित नहीं होंगी। वर्ष के प्रथम त्रैमास में वार्षिक मांग का 30 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास में वार्षिक मांग का 20 प्रतिशत तथा वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में वार्षिक मांग का कमशः 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा। किसी भी त्रैमास में वसूली योग्य इस राशि को छः समान भागों में बांटा जाएगा। यदि यह राशि छः समान भागों में विभाज्य नहीं है तो अविभाज्य शेष भाग को संबंधित त्रैमास की प्रथम पाक्षिक किश्त में समायोजित किया जाएगा। परन्तु अंतिम 24 वीं किश्त अर्थात् ठेका अवधि की अंतिम किश्त 25 मार्च 2016 तक जमा करना अनिवार्य होगा। 25 मार्च, 2016 के पश्चात् जमा राशि के विरुद्ध मंदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। दिनांक 25 मार्च 2016 को जमा चालानों पर 27 मार्च 2016 तक ही प्रदाय दिया जावेगा।

35.3 देशी मंदिरा अथवा विदेशी मंदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा देशी मंदिरा तथा/अथवा विदेशी मंदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) की जो मात्रा क्रय की जायेगी, उसके एवज

में निर्धारित दरों पर जमा ड्यूटी की राशि, उसकी संबंधित पक्ष की वार्षिक लायरेस फीस की पाक्षिक मांग के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।

- 35.4** यदि किसी पक्ष के लिए निर्धारित वार्षिक लायरेस फीस के समतुल्य मदिरा क्रय करने के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी और अधिक मदिरा क्रय करता है, तो इस प्रकार अधिक जमा ड्यूटी की राशि का समायोजन संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आगामी अवधि की वार्षिक लायरेस फीस के विरुद्ध अनुमति किया जा सकेगा।
- 35.5** यदि किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायरेसी द्वारा संबंधित पक्ष की देय बेसिक लायरेस फीस की निर्धारित पाक्षिक किश्त उसी पक्ष में जमा नहीं कराई जाती है तो, आगामी पक्ष में जमा की गयी वार्षिक लायरेस फीस की राशि को, प्रथमतः पिछले पक्ष की शेष रही बेसिक लायरेस फीस के विरुद्ध, उस सीमा तक समायोजित किया जायेगा, जिस सीमा तक देय बेसिक लायरेस फीस अवशेष रही है एवं इस राशि के विरुद्ध, उसे मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। यदि अवशेष बेसिक लायरेस फीस सम्पूर्ण रूप से आगामी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं कराई जाती है तो, उस पाक्षिक अवधि की समाप्ति पर उसे स्वीकृत लायरेस निरस्त किया जा सकेगा तथा/अथवा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।
- 35.6** यदि किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायरेसी द्वारा संबंधित पक्ष की देय वार्षिक लायरेस फीस की निर्धारित पाक्षिक किश्त उस पक्ष में जमा न कराई जाकर, आगामी पक्ष/पक्षों में जमा कराई जाती है तो, ऐसी विलम्ब से जमा कराई गई वार्षिक लायरेस फीस की राशि के विरुद्ध उसे मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। यह अवशेष वार्षिक लायरेस फीस, यदि आगामी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं कराई जाती है तो, उस पाक्षिक अवधि की समाप्ति पर उसे स्वीकृत लायरेस निरस्त किया जा सकेगा तथा/अथवा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।
- 35.7** एकल समूह की मदिरा दुकानों का पृथक-पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा, किन्तु एकल समूह की किसी भी एक या एक से अधिक दुकानों की पाक्षिक बेसिक लायरेस फीस एवं/अथवा वार्षिक लायरेस फीस बकाया रहने पर, वह बकाया संपूर्ण एकल समूह की बकाया मानी जाएगी। ऐसी बकाया रहने पर, उस एकल समूह की किसी भी दुकान को आगामी पक्ष में तब तक मदिरा का प्रदाय नहीं किया जाएगा, जब तक उस एकल समूह की समस्त मदिरा दुकानों की अवशेष बेसिक लायरेस फीस एवं वार्षिक लायरेस फीस जमा न हो जाए। यह बकाया बेसिक लायरेस फीस एवं/अथवा वार्षिक लायरेस फीस यदि आगामी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं कराई जाती है तो, उस पाक्षिक अवधि की समाप्ति पर संपूर्ण एकल समूह का लायरेस निरस्त किया जा सकेगा, तथा/अथवा एकल समूह की सभी दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।
- 36. देशी एवं विदेशी मदिरा के पाक्षिक प्रदाय की व्यवस्था**
- 36.1** मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारक को किसी पक्ष में देय वार्षिक लायरेस फीस के विरुद्ध, मदिरा प्राप्त करने के लिये जमा ड्यूटी की राशि का कोषालय चालान, राशि जमा किये जाने के 05 दिवस के अन्दर अथवा पक्षांत तक, जो भी पहले हो, संबंधित भाण्डागार अधिकारी अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
- 36.2** माह मार्च को छोड़कर, अन्य किसी भी माह के प्रथम अथवा द्वितीय पक्ष में ड्यूटी की जमा राशि के चालान पर, ड्यूटी की राशि जमा किये जाने के दिनांक से 05 दिन बाद तक की अवधि में ही लायरेसी को देशी मदिरा/विदेशी मदिरा के प्रदाय की पात्रता होगी।
- 36.3** अनुज्ञप्तिधारक को पक्षांत के पूर्व जमा राशि के विरुद्ध पक्षांत पश्चात मदिरा का प्रदाय तभी देय होगा, जब उस पक्षांत तक देय सम्पूर्ण बेसिक लायरेस फीस अनुज्ञप्तिधारक द्वारा संबंधित पक्षान्त की अवधि में ही पूर्ण रूप से जमा कर दी गई हो।
- 36.4** पांच (05) दिनों की इस अवधि में, जिस दिन राशि जमा की गई है, वह दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन (यदि कोई हो) गणना में नहीं लिये जायेंगे।
- 36.5** अन्यथा स्थिति में जमा ड्यूटी की राशि को संबंधित लायरेसी की उस पक्ष की वार्षिक लायरेस फीस की पाक्षिक मांग के विरुद्ध, नगद राशि जमा मानकर समायोजित किया जायेगा। लायरेसी को ड्यूटी की ऐसी जमा राशि के विरुद्ध पश्चातवर्ती अवधि में मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी।
- 36.6** प्रशासनिक कारणों से, आबकारी आयुक्त की अनुमति से मदिरा प्रदाय हेतु उपरोक्त बन्धनों से छूट दी जा सकेगी।

- 36.7** जनरल क्लाऊजेज एकट (साधारण खण्ड अधिनियम) की धारा-7 के अनुसार, यदि मध्यप्रदेश में लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्य को करने के लिए कोई निश्चित तिथि या अवधि के अन्तिम दिवस में कार्यालय बन्द हो और यदि उसके अगले कार्यकारी दिवस में वह कार्य किया जाता है तो, उस कार्य को समय पर किया जाना माना जाएगा। तदनुसार यदि पक्ष के अन्तिम दिवस/दिवसों में निर्गोषियेबल इन्स्ट्रमेन्ट एकट के अन्तर्गत घोषित अवकाश में बैंक बन्द रहता है, जिसके कारण पक्ष के अन्तिम कार्यकारी दिवस में बेसिक/वार्षिक लायर्सेंस फीस जमा न की जाकर, उसके बाद आने वाले कार्यकारी दिवस में जमा की जाती है, तो ऐसी जमा बेसिक/वार्षिक लायर्सेंस फीस को पूर्ववर्ती पक्ष में जमा लायर्सेंस फीस मानकर कार्यवाही की जायेगी।
- 37. वार्षिक मूल्य जमा होने के बाद मदिरा का प्रदाय**
- (1) किसी मदिरा दुकान की वर्ष 2015–16 के लिये निर्धारित बेसिक लायर्सेंस फीस (वार्षिक मूल्य का 60 प्रतिशत अथवा 55 प्रतिशत राशि) सम्पूर्ण रूप से जमा हो जाने के उपरांत, वर्ष की शेष अवधि में संबंधित दुकान को मदिरा का प्रदाय दिये जाने के लिये अतिरिक्त रूप से बेसिक लायर्सेंस फीस जमा कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लायर्सेंसी को उसकी मांग अनुसार मदिरा का प्रदाय मात्र जमा ड्यूटी के विरुद्ध दिया जायेगा।
 - (2) एकल समूह की स्थिति में समूह में शामिल किसी एक मदिरा दुकान की पूरे वर्ष की बेसिक लायर्सेंस फीस जमा कर दिये जाने की स्थिति में उस मदिरा दुकान की अवशेष वार्षिक लायर्सेंस फीस के विरुद्ध मदिरा का प्रदाय अथवा मदिरा दुकान में देय वार्षिक लायर्सेंस फीस के समतुल्य मदिरा के प्रदाय पश्चात मदिरा का अतिरिक्त प्रदाय समानुपातिक रूप से समूह की अन्य मदिरा दुकानों में देय बेसिक लायर्सेंस फीस जमा कराये जाने पर व इस हेतु देय ड्यूटी एवं देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की कीमत, देय आयकर, परिवहन फीस एवं देय वैट कर आदि राशियों के भुगतान पश्चात ही मदिरा का प्रदाय अनुमत होगा।
 - (3) ऐसी स्थिति में प्रदाय की जाने वाली मदिरा की मात्रा की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, किन्तु इस संबंध में सामान्य लायर्सेंस शर्त 29 के प्रावधान लागू होंगे। सामान्य लायर्सेंस शर्त 29 के अनुसार, यदि किसी दुकान में एक सीमा से अधिक मदिरा प्रदाय संभव न हो, तो इस नियम के परन्तुक के आधार पर कलेक्टर के लिखित आदेश से अतिरिक्त मदिरा की आपूर्ति के आदेश जारी किये जा सकेंगे।
- 38. मदिरा स्कंध का एक मदिरा दुकान से उसी प्रकार की अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण**
- वर्ष 2015–16 में किसी मदिरा दुकान पर अनुज्ञितिधारी की आवश्यकता से अधिक मदिरा संग्रहित होने पर, उसे उसी जिले की उसी प्रकार की अन्य दुकान में अंतरित करने की स्वीकृति, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। इसके लिए देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन) पर रुपये 2.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर पर रुपये 1.00 प्रति बल्क लीटर की दर से परिवहन फीस, जिस दुकान से मदिरा का अन्तरण किया जा रहा है, उस अनुज्ञितिधारी से अग्रिम जमा करायी जायेगी।
- 39. अवशेष मदिरा स्कंध का निराकरण**
- 39.1 वर्ष 2014–15 में ठेका अवधि समाप्त होने पर देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय की दुकान पर शेष बचे मदिरा स्कंध को वर्ष 2015–16 के लायर्सेंसी को सामान्य लायर्सेंस शर्त 25 के अनुपालन में अंतरित करना होगा। इस अंतरित मदिरा स्कंध पर वर्ष 2014–15 में भुगतान की गयी ड्यूटी की राशि का समायोजन, वर्ष 2015–16 की वार्षिक लायर्सेंस फीस में मान्य नहीं होगा। यदि वर्ष 2015–16 में लायर्सेंसी को ऐसे अवशेष मदिरा स्कंध पर ड्यूटी के अन्तर की राशि का भुगतान करना पड़ता है, तो केवल ऐसी ड्यूटी के अन्तर की राशि, उसकी वर्ष 2015–16 की देय वार्षिक लायर्सेंस फीस के विरुद्ध समायोजन योग्य होगी। सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी इस तरह के मदिरा अंतरण की अनुमति अपने जिले में ही दे सकेंगे।
 - 39.2 यदि लायर्सेंसी को यदि वर्ष 2015–16 के लिए उसी जिले में उसी स्वरूप की कोई अन्य दुकान आंवेटित नहीं होती है, लेकिन किसी अन्य जिले में उसी स्वरूप की कोई अन्य दुकान आंवेटित होती है, तो केवल ऐसी स्थिति में ही दिनांक 30 अप्रैल 2015 तक प्राप्त ऐसे प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा अंतरण की अनुमति दी जाने पर, अवशेष मदिरा स्कंध देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन) पर रुपये 5.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर पर रुपये 3.00 प्रति बल्क लीटर की दर से परिवहन फीस पृथक से प्रभारित की जायेगी।
- 40. मदिरा दुकानों की बिक्री का समय**
- मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की साफ–सफाई तथा मदिरा के प्रारंभिक संग्रह, आमद, विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों को पूर्ण/संधारित किये जाने के लिये प्रातः 8.30 बजे से प्रातः

9.30 बजे तक का समय एवं मदिरा विक्रय का समय प्रातः 9.30 बजे से रात्रि में 11.30 बजे तक एवं रेस्टरां/होटल/रिसोर्ट तथा क्लब बार लायरेसों में मदिरा के विक्रय का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक रहेगा।

41. दुकानों का निरीक्षण

प्रत्येक लायरेसी को अपने लायरेस परिसर में विभाग द्वारा जारी की गई निरीक्षण पुस्तिका एवं मदिरा के प्रारंभिक संग्रह, आमद, विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों का संधारण करना अनिवार्य होगा। इसमें आबकारी विभाग सहित किसी भी अधिकारी को दुकान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के पूर्व अपना नाम, पदनाम, आगमन का दिनांक व समय अंकित करने के साथ हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही वह अग्रिम कार्यवाही करेगा। ऐसी कार्यवाही का संक्षिप्त सारांगीत विवरण भी उक्त निरीक्षण पुस्तिका में अंकित किया जायेगा। यह निरीक्षण पुस्तिका आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा नियत की गई कीमत के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध लायरेसी को प्रदाय की जायेगी। लायरेसी को अपनी दुकान में क्लोज सर्किट टेलीविजन या वीडियो कैमरे के उपयोग की अनुमति होगी। लायरेस परिसर/दुकान के निरीक्षण के लिये अधिकृत किसी अधिकारी को यदि मदिरा लेखा पंजियां व निरीक्षण टीप अंकित करने हेतु निरीक्षण पुस्तिका, प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो इसे गम्भीर उल्लंघन मानकर कार्यवाही की जायेगी।

42. लायरेस का हस्तांतरण

टेण्डर द्वारा निष्पादित मदिरा दुकानें, निष्पादन उपरांत किसी भी परिस्थिति में सफल/चयनित टेण्डर दाता (अध्यर्थी) के परिवार के सदस्यों को छोड़कर, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी। परिवार से तात्पर्य पति एवं पत्नी तथा उनके बच्चों (दल्तक भी) से है। लायरेस की शेष अवधि के वार्षिक मूल्य आदि का भुगतान करने के लिए एवं लायरेस की शर्तों का पालन करने के लिए मूल लायरेसी (अंतरणकर्ता) तथा परिवार का वह व्यक्ति, जिसके नाम लायरेस को हस्तांतरण किया जायेगा (अंतरणग्रहिता), दोनों ही बाध्य रहेंगे। वर्ष 2015–16 की अवधि में मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायरेस के हस्तांतरण के लिए, उस मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य के पांच प्रतिशत के समतुल्य राशि हस्तांतरण फीस के रूप में प्रभारित की जायेगी।

43. वर्षान्त में प्रतिभूति का बेसिक लायरेस फीस एवं वार्षिक लायरेस फीस में समायोजन

43.1 देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लायरेसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति के पूर्व जब भी प्रतिभूति की राशि को कम कर, शेष सम्पूर्ण देय बेसिक लायरेस फीस तथा वार्षिक लायरेस फीस एवं उस अवधि की अन्य कोई भी देय राशि जमा कर दी जाती है तथा लायरेसी जमा प्रतिभूति की राशि का समायोजन, शेष रही बेसिक तथा वार्षिक लायरेस फीस के विरुद्ध चाहता है तो, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऐसे समायोजन की स्वीकृति, संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ तक होने पर रूपये एक लाख एवं वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ से अधिक होने पर, प्रति अतिरिक्त रूपये एक करोड़ अथवा उसके अंश के लिये आनुपातिक रूप से रूपये एक लाख के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति राशि प्राप्त कर दी जायेगी। अतिरिक्त प्रतिभूति की यह राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत की जा सकती।

43.2 उपरोक्त कण्ठका—**43.1** अनुसार प्रतिभूति प्राप्त करने के उपरान्त देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लायरेसी द्वारा नगद जमा अग्रिम प्रतिभूति की राशि में से, वर्ष 2015–16 के लिए देय अवशेष सम्पूर्ण बेसिक लायरेस फीस की राशि कम करके, शेष राशि के विरुद्ध मदिरा का प्रदाय, दिया जा सकेगा, किन्तु किसी भी पक्ष में निर्धारित देय पाक्षिक लायरेस फीस से अधिक मदिरा की मात्रा का प्रदाय नहीं दिया जायेगा।

43.3 अग्रिम प्रतिभूति की राशि यदि नगद जमा से भिन्न, बैंक गारंटी अथवा बैंक सावधि जमा के रूप में है तो ऐसी प्रतिभूति की राशि के विरुद्ध मदिरा का प्रदाय, बैंक गारंटी अथवा बैंक सावधि जमा की राशि मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में कोषालय चालान द्वारा जमा होने के उपरान्त ही अनुमत होगा।

44. मदिरा दुकानों के लिए गोदाम की व्यवस्था

44.1 नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों में विदेशी मदिरा के संग्रह के लिये पर्याप्त स्थान न होने पर, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों व आदेशित प्रतिबंधों के अधीन, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा वर्ष 2015–16 में भी गोदाम स्वीकृत किया जा सकेगा।

- 44.2** नगर निगम क्षेत्रों में स्थित देशी मदिरा दुकानों में मदिरा के संग्रह के लिये पर्याप्त रथान न होने पर, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में आदेशित प्रतिबंधों के अधीन गोदाम खीकृत किये जाने की अनुमति वर्ष 2015–16 में भी दी जा सकेगी।
- 45. मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित वाईन के फुटकर बिक्री की अनुमति**
राज्य शासन द्वारा घोषित वाईन नीति के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में ही निर्मित की जाने वाली वाईन के निर्माताओं को राज्य के जिला मुख्यालयों तथा एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के साथ–साथ, खजुराहो में एक या अधिक कप्पनी रिटेल आउटलेट खीकृत किये जा सकेंगे। साथ ही विनिर्माता इकाई द्वारा फ्रैंचाईजी/अधिकृत किये गये व्यक्ति को भी नगर निगम क्षेत्र में वाईन के फुटकर विक्रय के लिए रिटेल आउट–लेट खीकृत किये जा सकेंगे। इन रिटेल आउटलेट पर वाईन की आपूर्ति विनिर्माणी (वाईनरी) से सीधे की जा सकेगी। जिले की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान और बार के लायसेंसी को उसी जिले के रिटेल आउटलेट से ऐसी वाईन प्रदाय की जा सकेगी। इसकी वार्षिक लायसेंस फीस पूर्ववत रुपये 100/- रहेगी।
- 46. पुनर्निष्पादन**
वर्ष 2015–16 के लिए सार्वजनिक रूप से टेण्डर द्वारा निष्पादित किये जाने पर किसी भी मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनर्निष्पादन, इस आधार पर आदेशित नहीं किया जायेगा कि उसके निष्पादन के समय उपस्थित कोई टेंडरदाता, निष्पादन की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम ऑफर के विरुद्ध अधिक ऑफर देने का इच्छुक होकर, निष्पादित की गयी दुकान के पुनर्निष्पादन की अपेक्षा रखता हो।
- 47. लायसेंस अवधि के दौरान दुकान का पुनर्निष्पादन**
लायसेंस अवधि के दौरान लायसेंस शर्तों के उल्लंघन, वार्षिक मूल्य (बेसिक लायसेंस फीस एवं/अथवा वार्षिक लायसेंस फीस) जमा न करने अथवा किसी अन्य कारण से, यदि मदिरा दुकान/एकल समूह का लायसेंस निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में जिला समिति को उस मदिरा दुकान/एकल समूह को पुनः निष्पादित करने के अधिकार होंगे। एकल समूह की सभी मदिरा दुकानों का लायसेंस निरस्त किया जायेगा। लायसेंस निरस्त किए जाने के पश्चात मूल अनुज्ञापत्रिधारी के उत्तरदायित्व पर, उस मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनः निष्पादन टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा। मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनः निष्पादन होने तक उसका विभागीय संचालन स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से किया जाएगा। टेण्डर के माध्यम से मदिरा दुकान/एकल समूह के पुनः निष्पादन अथवा विभागीय संचालन में, वर्ष 2015–16 के लिए निष्पादन उपरान्त प्राप्त वार्षिक मूल्य की तुलना में, जो भी राशि कम प्राप्त होगी, वह मूल अनुज्ञापत्रिधारी से वसूली योग्य होगी। पुनः निष्पादन किस मूल्य पर किया जाए, इसके लिए जिला समिति को मैदानी वास्तविकताओं के आधार पर निर्णय लेने के अधिकार होंगे।
- 48. मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों पर साईन बोर्ड**
मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा मदिरा दुकान पर अधिक से अधिक 10 फीट लम्बे एवं 4 फीट चौड़े/ऊंचे आकार का एक साइन बोर्ड लगाया जायेगा जिस पर हिन्दी/अंग्रेजी में मोटे अक्षरों में केवल मदिरा दुकान का प्रकार, उसकी अवस्थिति, लायसेंस का क्रमांक, लायसेंस की अवधि तथा लायसेंसी का नाम अंकित होगा।
- 49. शुष्क दिवस**
वर्ष 2015–16 के लिए शासन द्वारा अधिसूचित अनुसार 3 शुष्क दिवस निम्नानुसार रहेंगे:—
- | | | |
|-------------|------------------|-----------------------|
| 49.1 | 15 अगस्त, 2015 | (स्वतंत्रता दिवस) |
| 49.2 | 02 अक्टूबर, 2015 | (महात्मा गांधी जयंती) |
| 49.3 | 26 जनवरी, 2016 | (गणतंत्र दिवस) |
- (2) इसके अतिरिक्त कलेक्टर को प्रशासकीय तथा लोकहित में यह भी अधिकार होगा कि किन्हीं भी अतिरिक्त 4 दिनों के लिए किसी भी स्थान की कोई एक या इससे अधिक दुकानें अथवा तहसील या जिले की समरत दुकानें बन्द करने के आदेश प्रसारित किया जा सकेगा।
- (3) लोक सभा तथा विधान सभा एवं स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के साधारण (जनरल) और उप निर्वाचन के समय मतदान तथा मतगणना के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा आदेशित/निर्देशित व्यवस्थाओं के परिपालन में, मतदान क्षेत्र की दुकानें अथवा मतगणना क्षेत्र की दुकानें कलेक्टर द्वारा बन्द किया जाना आदेशित किया जा सकेगा।
- टीप-- स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला

पंचायतें और ग्राम पंचायत शामिल है। ऐसे समय पर सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों की दुकानें बन्द रहेगी, जहां निर्वाचन हो।

(4) यदि उक्त निर्धारित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी अन्य दिवस को कलेक्टर के लिखित आदेश से दुकानें बन्द की जाती हैं, तो उन दुकानों के बन्द रहने की अवधि में संबंधित दुकान के ठेकेदार को दुकान के लिए निर्धारित लायसेंस फीस में आनुपातिक छूट की पात्रता होगी।

50. अन्य कर

ठेका अवधि में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर, फीस या चार्ज लगाया जावेगा तो, अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत बेसिक लायसेंस फीस अथवा वार्षिक लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

51. मद्य निषेध की नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप दुकान बन्द करना

राज्य में अथवा किसी पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप यदि कोई मदिरा दुकान/दुकानें बन्द की जाती हैं तो, इसके कारण लायसेंसी को शासन द्वारा कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी। इसी प्रकार यदि पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से भी राज्य की किसी भी दुकान का पुनः निष्पादन करने का निर्णय लिया जाता है तो, ऐसा करने का अधिकार शासन को होगा तथा उस पर किसी लायसेंसी की आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट किसी भी आपत्तिकर्ता को देय नहीं होगी। यदि लायसेंस की अवधि में लायसेंसी को किसी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक, राजनैतिक उपद्रवों, कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की क्षति होती है तो, लायसेंसी को किसी तरह की क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

52. ठेका की अवधि में निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहना

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की ये सभी शर्तें, वर्ष 2015–16 के दौरान होने वाले पुनः निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में भी प्रभावशील रहेंगी।

53. अन्य व्यवस्थायें लागू रहना

वर्ष 2015–16 के लिए देशी मदिरा प्रदाय, मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं संचालन आदि के संबंध में पूर्व में प्रचलित अन्य समस्त प्रावधान, व्यवस्थायें, प्रक्रिया एवं शर्तें जिनका उल्लेख उपरोक्त में नहीं किया गया है, वे सभी यथावत लागू रहेंगी।

54. वर्ष 2015–16 में स्वीकृत/जारी किये जाने वाले देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के सभी लायसेंस मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित) तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये एवं समय–समय पर संशोधित किये गये नियमों और समय–समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त व कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेंगे।

55. जिले की मदिरा दुकानों के टेण्डर द्वारा निष्पादन से संबंधित शर्तों के संबंध में तैयार किये गये विक्रय ज्ञापन की प्रति रुपये 1000/- (रुपये एक हजार केवल) पृथक से नगद जमा करने पर, संबंधित जिला आबकारी कार्यालय से उपलब्ध हो सकेंगी।

56. मध्यप्रदेश राज्य में समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों के टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही से संबंधित जिलावार दिनांक एवं समय, टेण्डर प्रपत्र विक्रय किये जाने एवं जमा कराये जाने का दिनांक एवं समय, जिलावार निष्पादन स्थल निम्नांकित परिशिष्ट “क” अनुसार रहेंगे।

परिशिष्ट—“क”

वर्ष 2015–16 के लिये मध्यप्रदेश में टेण्डर द्वारा निष्पादन की तिथियां एवं स्थल

समूह	समूह में समिलित जिलों का नाम	संबंधित जिले में टेण्डर प्रपत्र जमा करने का दिनांक व समय	मदिरा दुकानों/ एकल समूहों के टेण्डर खोले जाने की तिथि, दिन व समय	निष्पादन स्थल
1	2	3	4	5
प्रथम	उज्जैन	20.02.2015	20.02.2015	कलेक्टोरेट, उज्जैन
	धार	दिन शुक्रवार	दिन शुक्रवार	कलेक्टोरेट, धार
	गुना	13.00 बजे दिन तक	14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक	कलेक्टोरेट, गुना
	सीहोर			कलेक्टोरेट, सीहोर

	बालाघाट			नवीन कलेकटोरेट परिसर, बालाघाट
	टीकमगढ़			संयुक्त कलेकटोरेट, टीकमगढ़
	सिंगरौली			कलेकटोरेट, सिंगरौली
द्वितीय	झाबुआ	21.02.2015	21.02.2015	कलेकटोरेट, झाबुआ
	नीमच	दिन शनिवार	दिन शनिवार	कलेकटोरेट, नीमच
	सिवनी	13.00 बजे दिन तक	14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक	कलेकटोरेट, सिवनी
	राजगढ़			नवीन कलेकटोरेट, राजगढ़ (ब्यावरा)
	अशोकनगर			कलेकटोरेट, अशोकनगर
	दमोह			नवीन कलेकटोरेट, दमोह
	सीधी			कलेकटोरेट, सीधी
तृतीय	शिवपुरी	23.02.2015	23.02.2015	कलेकटोरेट, शिवपुरी
	खरगौन	दिन सोमवार	दिन सोमवार	स्वामी विवेकानंद सभागृह, कलेकटोरेट, खरगौन
	भोपाल	13.00 बजे दिन तक	14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक	सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय, भोपाल
	मंदसौर			जिला आबकारी कार्यालय, मंदसौर
	सतना			कलेकटोरेट, सतना
	कटनी			कलेकटोरेट, कटनी
	छतरपुर			कलेकटोरेट, छतरपुर
चतुर्थ	होशंगाबाद	24.02.2015	24.02.2015	कलेकटोरेट, होशंगाबाद
	रतलाम	दिन मंगलवार	दिन मंगलवार	जिला आबकारी कार्यालय, रतलाम
	अलीराजपुर	13.00 बजे दिन तक	14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक	कलेकटोरेट, अलीराजपुर
	ग्वालियर			कलेकटोरेट, ग्वालियर
	नरसिंहपुर			न्यू कलेकटोरेट, नरसिंह भवन, नरसिंहपुर
	शहडोल			संयुक्त जिला कार्यालय, शहडोल
	पन्ना			कलेकटोरेट, पन्ना
पंचम	जबलपुर	25.02.2015	25.02.2015	कलेकटोरेट, जबलपुर
	सागर	दिन बुधवार	दिन बुधवार	कलेकटोरेट, सागर
	रीवा	13.00 बजे दिन तक	14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक	सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय, रीवा
	बड़वानी			कलेकटोरेट, बड़वानी
	बैतूल			जिला आबकारी कार्यालय, बैतूल
	शाजापुर			कलेकटोरेट, शाजापुर
	मुरैना			कलेकटोरेट, मुरैना
षष्ठम	इन्दौर	26.02.2015	26.02.2015	कलेकटोरेट, इन्दौर
	देवास	दिन गुरुवार	दिन गुरुवार	मल्हार स्मृति सभा कक्ष, देवास
	भिण्ड	13.00 बजे दिन तक	14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक	कलेकटोरेट, भिण्ड
	छिंदवाड़ा			कलेकटोरेट, छिंदवाड़ा
	विदिशा			कलेकटोरेट, विदिशा
	उमरिया			कलेकटोरेट, उमरिया
सप्तम	खण्डवा	27.02.2015	27.02.2015,	आबकारी भवन परिसर, खण्डवा
	रायसेन	दिन शुक्रवार	दिन शुक्रवार	कलेकटोरेट, रायसेन
	अनूपपुर	13.00 बजे दिन तक	14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक	कलेकटोरेट, अनूपपुर
	श्योपुर			नवीन कलेकटोरेट भवन, श्योपुर
	आगर			कलेकटोरेट, आगर (मालवा)

	मण्डला दतिया			कलेकटोरेट सभाकक्ष, मण्डला संयुक्त कलेकटोरेट भवन, दतिया
अष्टम	बुरहानपुर हरदा डिण्डोरी	28.02.2015 दिन शनिवार 13.00 बजे दिन से तक	28.02.2015 दिन शनिवार 14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक	कलेकटोरेट, बुरहानपुर कलेकटोरेट, हरदा कलेकटोरेट, डिण्डोरी

राकेश श्रीवास्तव, आबकारी आयुक्त.